संदर्भः आईआरडीएआई/एनएल/ओआरडी/विविध/005/01/2022

Ref: IRDAI/NL/ORD/MISC/005/01/2022

<u>आदेश</u> ORDER

दिनांकः ६ जनवरी २०२२

Date: 6th January 2022

विषयः साधारण बीमा उद्योग में हानि निवारण और हानि न्यूनीकरण संबंधी सलाहकार समिति का गठन

Re: Constitution of Advisory Committee on Loss Prevention and Loss Minimization in General Insurance Industry

प्राधिकरण ने आदेश संदर्भ. आईआरडीएआई/एनएल/ओआरडी/विविध/223/12/2019 दिनांक 12 दिसंबर 2019 के अनुसार साधारण बीमा उद्योग में हानि निवारण और न्यूनीकरण के संबंध में सिफारिशें करने के लिए एक कार्य-दल का गठन किया था।

The Authority had set up a working group to make recommendations on Loss Prevention and Minimisation in the general insurance industry vide order ref. IRDAI/NL/ORD/MISC/223/12/2019 dated 12th December 2019.

- 2. उक्त कार्य-दल ने अपनी रिपोर्ट में सुरक्षा के संवर्धन और हानि निवारण के रूप में उद्देश्य रखनेवाले एकमात्र संगठन की स्थापना करने की सिफारिश की थी।
- 2. The Working Group in its report had recommended setting up an exclusive organisation having objective as promotion of safety and loss prevention.
- 3. इस संबंध में एक अलग संगठन की स्थापना की जाँच करने से पहले 'राष्ट्रीय बीमा अकादमी (एनआईए)' में संपत्ति संबंधी एक केन्द्र (हब) तथा 'बीमा और जोखिम प्रबंध संस्थान (आईआईआरएम)' में मोटर बीमा संबंधी एक केन्द्र बनाने का निर्णय लिया गया है।
- 3. In this regard, before examining setting up of a separate organisation, it has been decided to form a hub on Property Insurance at 'National Insurance Academy (NIA)' and one on Motor Insurance at 'Institute of Insurance and Risk Management (IIRM)'.
- 4. इसके अलावा, उक्त योजना पर उद्योग के स्तर पर विचार करने और इसे विकसित करने के लिए इसके द्वारा निदेशक, एनआईए की अध्यक्षता में निम्नलिखित संस्थाओं/संगठनों से सदस्यों को लेते हुए एक सलाहकार समिति का गठन किया गया है।
- 4. Further, an advisory committee under the chairmanship of Director, NIA is hereby formed, along with the members from the following entities/organisations, to incubate and develop the idea on an industry level.

क्रम सं.	सदस्य
Sr. No	Members
1	मुख्य प्रबंधक, फायर और इंजीनियरिंग विभाग, युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि. Chief Manager, Fire & Engineering Department, United India Insurance Co. Ltd
2	वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कारपोरेट जोखिम-अंकन, एचडीएफसी एरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. Senior Vice President - Corporate Underwriting, HDFC Ergo General Insurance Co. Ltd.

3	प्रमुख, वाणिज्यिक दावे, चोल एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.
	Head Commercial Claims, Chola MS General Insurance Co. Ltd.
4	उप महाप्रबंधक, जीआईसी आरई
	Deputy General Manager, GIC Re
5	प्रमुख – व्यवसाय की अन्य व्यवस्थाएँ, भारतीय बीमा सूचना ब्यूरो (आईआईबीआई)
	Head - Other Lines of Business, Insurance Information Bureau of India
	(IIBI)
6	प्रतिनिधि, भारतीय बीमा दलाल संघ (आईबीएआई)
	Representative, Insurance Brokers Association of India (IBAI)
7	प्रतिनिधि, भारतीय बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक संस्थान (आईआईआईएसएलए)
	Representative, Indian Institute of Insurance Surveyors and Loss
	Assessors (IIISLA)
8	संकाय सदस्य, राष्ट्रीय बीमा अकादमी (एनआईए)
	Faculty Member, National Insurance Academy (NIA)
9	मुख्य प्रबंधक, मोटर, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि.
	Chief Manager, Motor, New India Assurance Co. Ltd.
10	उपाध्यक्ष, आटो संबंधी दावे, टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.
	Vice President, Auto Claims, TATA AIG General Insurance Co. Ltd.
11	उपाध्यक्ष, बीमांकिक, गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लि.
	Vice President, Actuarial, Go Digit General Insurance Ltd.
12	वरिष्ठ दावा विशेषज्ञ, म्यूनिख आरई – भारत शाखा
	Senior Claims Specialist, Munich Re- India Branch
13	प्रभारी- मोटर, भारतीय बीमा सूचना ब्यूरो (आईआईबीआई)
	In charge-Motor, Insurance Information Bureau of India (IIBI)
14	प्रतिनिधि, भारतीय बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक संस्थान (आईआईआईएसएलए)
	Representative, Indian Institute of Insurance Surveyors and Loss
	Assessors (IIISLA)
15	संकाय सदस्य, भारतीय बीमा संस्थान (आईआईआई)
	Faculty Member, Insurance Institute of India (III)
16	संकाय सदस्य, बीमा और जोखिम प्रबंध संस्थान (आईआईआरएम)
	Faculty Member, Institute of Insurance and Risk Management (IIRM)

- 5. उक्त सलाहकार सिमिति के अंदर दो उप-सिमितियाँ होंगी, एक क्रम सं. 1 से 8 तक पर उल्लिखित सदस्यों के साथ संपत्ति बीमा के संबंध में तथा दूसरी उपर्युक्त क्रम सं. 9 से 16 तक उल्लिखित सदस्यों के साथ मोटर बीमा के संबंध में, जो विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में उद्योग स्तर पर हानि नियंत्रण और न्यूनीकरण के विचार को आगे बढ़ाने के लिए होंगी।
- 5. There will be two sub-committees within the Advisory Committee, one on Property Insurance with members mentioned at sr. no. 1 to 8 and other on Motor Insurance with members mentioned at sr. no. 9 to 16 above, to take forward the idea of Loss Prevention and Minimisation at the industry level in the areas specified.
- 6. उक्त सलाहकार सिमिति प्रारंभिक तौर पर संलग्न अनुबंध। के अंतर्गत सूचीबद्ध कार्यकलापों पर कार्य करेगी। प्राधिकरण जब भी आवश्यक समझा जाएगा तब उक्त कार्यकलापों की समीक्षा करेगा और उनमें आशोधन करेगा।

- 6. The Advisory Committee, to start with, shall work on the activities listed under **Annexure I** attached. The Authority may review and modify the activities as and when felt necessary.
- 7. उक्त सलाहकार समिति प्राधिकरण को कार्य की प्रगति की रिपोर्ट मासिक आधार पर प्रस्तुत करेगी।
- 7. The Advisory Committee shall submit work progress report to the Authority on monthly basis.
- 8. उक्त सलाहकार समिति की कार्यावधि दो वर्ष की होगी।
- 8. The Advisory Committee shall have a term of two years.

हस्ता./- Sd/-(यज्ञप्रिया भरत / Yegnapriya Bharath) मुख्य महाप्रबंधक (गैर-जीवन) / Chief General Manager(Non-Life)

अनुबंध / Annexure I

सलाहकार समिति द्वारा निष्पादित किये जानेवाले कार्यकलाप Activities to be Performed by Advisory Committee

(क) संपत्ति बीमा संबंधी / (A) On Property Insurance:

- i. पिछली जोखिम निरीक्षण रिपोर्टों के भंडार (रिपोजिटरी) का निर्माण करना और मानक सर्वेक्षण/ निरीक्षण रिपोर्ट के फार्मेट विकसित करना।

 Creating repository of past risk inspection reports and developing standard survey/inspection report formats.
- ii. उद्योग के विभिन्न सहभागियों के सहयोग से कूट (कोड) और न्यूनतम मानदंड (बेंचमार्क) निर्धारित करना और उनकी समीक्षा करना।

 Setting and reviewing codes and benchmarks in collaboration with various industry participants.
- iii. आईआईबीआई के सहयोग से स्थान-वार, दखल(आक्युपेन्सी)-वार संपत्ति अभिज्ञापक के रूप में जियो कूट/विशिष्ट संपत्ति आईडी का उपयोग करते हुए, देश में औद्योगिक संपत्ति जोखिमों के डेटाबेस का निर्माण तथा उनका विश्लेषण करना जहाँ जोखिम पर कुल मूल्य रु. 50 करोड़ से अधिक है।
 - Creation and analysis of database of industrial property risks in the country where total value at risk is above Rs. 50 Crores, using geo code/unique property ID as the location-wise, occupancy-wise property identifier in collaboration with IIBI.
- iv. आईआईबीआई के सहयोग से जियो कूट के साथ खंड-वार/ दखल-वार हानि डेटा का संग्रहण और निर्माण करना, हानि निवारण और न्यूनीकरण की तकनीकों के संबंध में

गंभीरता, मूल कारण विश्लेषण तथा सुझावों सहित, हानियों का विश्लेषण और उनके स्वरूप का प्रकाशन करना।

Collect and build segment-wise/ occupancy-wise loss data with geo code, analyse and publish pattern of losses including severity, root cause analysis and suggestions on loss prevention and minimisation techniques in collaboration with IIBI.

- v. माल के पैकेजिंग और परिवहन के संबंध में परामर्श जारी करना। Issue advisories on packaging and transportation of cargo.
- vi. अग्नि परिसंकटों और अग्नि सुरक्षा से संबंधित तकनीकी साहित्य प्रकाशित करना। Publish technical literature on fire hazards, fire safety.

(ख) मोटर बीमा संबंधी / (B) On Motor Insurance:

- i. हानि होने की स्थिति में वाहनों के निरीक्षण तथा वाहन मालिकों के द्वारा अनुसरण की जानेवाली मानक परिचालन प्रक्रियाओं के संबंध में दिशानिर्देश विकसित करना।

 Develop guidelines on inspection of vehicles and standard operating processes to be followed by vehicle owners in the event of loss.
- ii. देश भर में अत्यधिक अरक्षितता से युक्त दुर्घटना स्थलों का मानचित्रण करना। Mapping high exposure accident spots across the country.
- iii. वाहनों की प्रत्येक बनावट (मेक) और माडल के लिए सुरक्षा विशेषताएँ शामिल करने के लिए मानक मैट्रिक्स (स्कोर) विकसित करना।

 Develop standard matrix (score) to incorporate safety features for each make and model of vehicles.
- iv. समूचे उद्योग में मानकीकरण लाने के लिए वाहन के प्रत्येक माडल हेतु पुरज़ों के लिए मरम्मत के प्रभारों के संबंध में दिशानिर्देश निर्धारित करना। प्रत्येक पुरज़े की मरम्मत, औसत पेंटिंग व्यय और मरम्मत के विभिन्न प्रकारों के लिए प्रतिवर्तन (टर्नअराउंड) समयों के तौर पर औसत मरम्मत व्यय उपलब्ध कराने के लिए गराज नेटवर्क मास्टर का निर्माण करना। Lay down guidelines on repair charges for parts for each model of vehicle to bring standardization across the industry. Creation of garage network master for providing average repair cost in terms of repair of each part, average painting cost and turnaround times for different types of repair.
- v. हानि निवारण और न्यूनीकरण के लिए प्रौद्योगिकी जैसे ब्लाक चेन, टेलीमैटिक्स को अपनाने के संबंध में दिशानिर्देश विकसित करना और इस संबंध में दुनिया में सर्वोत्तम प्रथाओं को चिन्हांकित करना।

Develop guidelines on adoption of technology such as Block Chain, Telematics for loss prevention and minimisation and highlight best practices in the world in this regard.

(ग) दोनों खंडों के लिए सामान्य कार्यकलाप / (C) Activities common for both segments

- i) हानि निवारण और न्यूनीकरण के बारे में जागरूकता का निर्माण करना तथा अंतरराष्ट्रीय तौर पर अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं का परिचालन करना। Creating awareness about Loss Prevention and Minimisation and circulate best practices adopted internationally.
- ii) हानि निवारण और न्यूनीकरण के विषयों में विभिन्न सरकारी एजेंसियों/ प्राधिकरणों, संस्थाओं, बीमाकर्ताओं और अंतरराष्ट्रीय संगठनों/ निकायों आदि के साथ समन्वय करना।

 Co-ordinating with various government agencies/authorities, institutions, insurers and international organizations/bodies etc. on the matters of loss prevention and minimization.
- уाधिकरण के अध्यक्ष तथा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में प्राधिकरण के वरिष्ठतम सदस्य के द्वारा उचित समझा गया कोई भी अन्य कार्यकलाप।

 Any other activity deemed fit by the Chairperson of the Authority and in the absence of Chairperson, senior most Member of the Authority.